न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 54 / 2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (राज0) **(प्रार्थी)**

बनाम

1. इल्लामुद्दीन पुत्र कयामुद्दीन
2. मेहराजूद्दीन पुत्र कयामुद्दीन
3. जियाउद्दीन पुत्र कयामुद्दीन
4. साहबुद्दीन पुत्र कयामुद्दीन
5. सुजाउद्दीन पुत्र कयामुद्दीन
6. अतिका बेवा कयामुद्दीन, जातिगण मुसलमान काजी, निवासीगण बारां, जिला बारां (राज0)

(अप्रार्थीगण)

जिला कलेक्टर बारा (राज0)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**
2. श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

आदेश दिनांक– 28.10.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मांगरोल की जमाबंदी सम्वत् 2069–72 में आराजी खसरा नंबर 4475 रकबा 1.04 है., किस्म किस्म नहरी II अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। उक्त आराजी के मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044–63 ग्राम मांगरोल की आराजी हाल खसरा नंबर 4475 रकबा 1.04 है. साबिक खसरा नंबर 2620 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा से कायम हुए हैं। साबिक खसरा नंबर 2620 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2014–23 किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज रिकार्ड है। बन्दोबस्त संवत 2044–63 में ग्राम मांगरोल की उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 4475 रकबा 1.04 है., नहरी II कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से अप्रार्थीगण के पिता / पति कयामुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन मुसलमान काजी साकिन बारां को आवंटित कर उसके खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.रिट संख्या 1536 / 2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.21 12:53:35 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आवटन / नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536 / 03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी

आराजी को पूर्ववत गै0मु0 तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत गै0मु0 तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि अप्रार्थीगण के खाते की आराजी वाके माल मांगरोल के साबिक खसरा नं. 2620 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा सम्वत् 2030 के पूर्व किस्म बाराजी—I दर्ज थी। उक्त आराजी कृषि भूमि होने से अप्रार्थीगण के पिता को सम्वत् 2030 से पूर्व आवंटित हुई थी। नामांतकरण संख्या 532 से अप्रार्थीगण के पिता को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये। साबिक खसरा नं. 2620 की आराजी कभी भी तलाई नही रही। बल्कि कृषि काश्त योग्य भूमि थी। सेटलमेन्ट 2044 से 2063 में किस्म बरानी—I को नहरी—II दर्ज किया गया। साबिक खसरा नंबर 2620 जिसकी किस्म बारानी—I थी, को मौजूदा स्थिति अनुसार नहर सिंचित होने से सम्वत 2044 से 2063 की कार्यवाही में नये खसरा नंबर 4475 रकबा 1.04 है. किस्म नहरी—II कायम किये जो बिधि प्रक्रिया एवं मौजूदा स्थिति अनुरूप दर्ज है। खसरा नंबर 4475 रकबा 1.04 है. किस्म नहरी आराजी अप्रार्थीगण के पिता कयामुद्दीन को विधिवत आवंटित हुई, आंवटन उपरान्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण के पिता कयामुद्दीन एवं उनके बाद अप्रार्थीगण आराजी को काश्त कर अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर रहे है। अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार जनहित याचिका के निर्णय दिनांक 02.09.2004 में पारित दिशा निर्देशों से असंगत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण के पिता को विधिवत आवंटन हुई भूमि बाबत् निर्देश प्रस्तुत करने का राज्य सरकार को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नही होने से प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। पृथ्वी पर भौगोलिक परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। प्रकृति परिवर्तनशील है। आदिकाल से थल व जल की भौगोलिक स्थितियां सदैव परिवर्तनीय रही है। अतः उक्त कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे। जवाब पेश होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

3— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम मांगरोल की जमाबंदी सम्वत् 2069—72 अनुसार आराजी खसरा नंबर 4475 रकबा 1.04 है., किस्म किस्म नहरी II अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। उक्त आराजी के मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044—63 ग्राम मांगरोल की आराजी हाल खसरा नंबर 4475 रकबा 1.04 है. साबिक खसरा नंबर 2620 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा से कायम हुए हैं। साबिक खसरा नंबर 2620 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा मुताबिक सेटलमेन्ट सम्वत 2014—23 किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज रिकार्ड है। सेटलमेन्ट संवत 2044—63 में ग्राम मांगरोल की आराजी खसरा नंबर 4475 रकबा1.04 है., नहरी II कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से अप्रार्थीगण के पिता को आवंटित कर उसके खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा—16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत गै0मु0 तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.21 12:53:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

4— अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के उक्त कथन का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी वर्तमान में काश्त योग्य भूमि है जिसके आस पास भी काश्त योग्य भूमि

स्थित है। मौके पर कोई तलाई नहीं है। आराजी अप्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थीगण के खाते दर्ज होने के लगभग 50 वर्ष से अधिक समय पश्चात तहसीलदार मांगरोल द्वारा उक्त रेफरेन्स पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

5— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। ग्राम मांगरोल की जमाबंदी सम्वत् 2069—72 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 4475 रकबा 1.04 है., किस्म किस्म नहरी II अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044—63 ग्राम मांगरोल की उक्त आराजी हाल खसरा नंबर 4475 रकबा 1.04 है. साबिक खसरा नंबर 2620 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा से कायम हुए हैं। साबिक खसरा नंबर 2620 मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2014—23 के ग्राम मांगरोल में किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज रिकार्ड है। सेटलमेन्ट संवत 2044—63 में ग्राम मांगरोल की आराजी खसरा नंबर 4475 रकबा 1.04 है., नहरी II कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से अप्रार्थीगण के पिता को आवंटित कर उसके खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। इस प्रकार जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै0मु0 तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थीगण के पिता/पति कयामुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन मुसलमान काजी साकिन बारां को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम मांगरोल में खातेदारी में दर्ज आराजी खसरा नंबर 4475 रकबा 1.04 है. किस्म नहरी—II को जो मूल रूप से सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 2620 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई से बना है जिसका अप्रार्थीगण के पिता कयामुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन मुसलमान काजी साकिन बारां को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

7— तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में ... जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित क...

आदेश आज दिनांक ... को ... सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.21 12:53:35 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)